न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी:– अजयदीप सिंह, आर.जे.एस. (आर.जे. 1230)

मु.फौ. 361/2024

सी.आई.एस. 361/2024

CNR – RJCH110009472024

1. मोहनलाल पुत्र चोखाराम उम्र 69 वर्ष निवासी झाड़सर कान्धलान, तहसील तारानगर जिला चुरू।

2. गिरदावरी पत्नी मोहनलाल उम्र 63 वर्ष निवासी झाड़सर कान्धलान, तहसील तारानगर जिला चुरू।

–––– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल निवासी झाड़सर कान्धलान, तहसील तारानगर जिला चुरू हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वणदार रानी जिला पाली राज.

2. महेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी झाड़सर कान्धलान, तहसील तारानगर जिला चुरू।

–––– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतरिम भरण पोषण बाबत

उपस्थितः–

1– प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार ।

2– अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष सहारण।

3– अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद शर्मा।

आदेश दिनांक 19.03.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम भरण पोषण दिलवाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण वृद्ध हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तथा वे इस आयु में स्वयं कमाकर खाने में असमर्थ हैं। प्रार्थीगण ने जीवन भर की गाढ़ी कमाई से अप्रार्थीगण का पालन–

पोषण कर पढाई कराई व शादी की व अपने मातृ–पितृ कर्त्वयों का निर्वहन किया। प्रार्थीगण जीवन–यापन हेतु अप्रार्थीगण पर आश्रित हैं, किंतु अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को घर से निकाल दिया है व उन्हें खाना–पानी भी नहीं देते हैं व उनसे बुरा व्यवहार करते हैं तथा उनकी देखभाल नहीं करते हैं। प्रार्थीगण के पास आय का कोई साधन नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 वर्मान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बणदार रानी जिला पाली में कार्यरत है, जिससे 60 हजार रूपये मासिक कमाता है व अप्रार्थी संख्या 2 प्राईवेट काम करके 20 हजार रूपये मासिक कमाता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने उन्हें अपने नाम खातेदारी भूमि भी काश्त करने के लिए दे रखी है, जिससे सालाना 2–2 लाख रूपये क आय होती है व निवेदन किया कि प्रार्थीगण को बतौर अंतरिम भरण–पोषण स्वरूप राशि 20,000/– रूपये मासिक दिलवाए जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण स्वस्थ हैं। दिनांक 26.07.2012 को एक पारिवारिक समझौता हुआ, जिसमें मोहनलाल की तरफ से इकरारनामा में 1/3 हिस्सा की कृषिभूमि अप्रार्थी सं. 1 को देने का वादा किया था तथा के.सी.सी. के रूपये भी देने का वादा किया है। उक्त पारिवारिक समझौता के अनुसार प्रार्थी सं. 1 ने ना ही अप्रार्थी सं. 1 को उसके हक व हिस्सा में विरास्तन आने वाली कृषिभूमि दी है तथा आज तक उक्त कृषिभूमि में राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता/क्लेम राशि अप्रार्थी सं. 1 के हक व हिस्सा में आती है, वह भी आज तक नहीं दी है। उक्त कृषिभूमि से आने वाली सम्पूर्ण सहायता/क्लेम राशि प्रार्थीगण स्वयं रखते है। अप्रार्थी सं. 1 सन् 2006 से अलग रह रहा है तथा अपनी मेहनत मजदूरी कर सन् 2009 में बी.एड की तथा अपने बाल बच्चों का भरण पोषण किया। सन् 2020 में अप्रार्थी सं. 1 सरकारी अध्यापक लग गया तब से प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1 से रंजिश रखते है तथा कई बार जिला शिक्षा अधिकारी व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को झूठी शिकायत कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा अप्रार्थी सं. 1, जो एक सरकारी कर्मचारी है, उसे नौकरी से हटवाने के लिए उस पर झूठा मारपीट कर मुकदमा किया गया है, जिसमें बाद अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी ने अप्रार्थी सं. 1 के अपने ड्यटी पर होना पाये जाने तथा घटना के समय वहां नहीं होना पाये जाने से उक्त मुकदमा को झूठा मानकर माननीय न्यायालय हाजा में एफ. आर. प्रस्तुत की। अप्रार्थी सं. 1 के केवल तीन लड़किया हैं इसलिए पुत्र संतान नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1 से रंजिश रखते है ना ही बोलते है तथा अप्रार्थी सं. 1 स्वयं के बलबुते पर अपनी लड़कियों को पढ़ा रहा है, जिन पर काफी खर्चा हो रहा है व कुछ दिन बाद 3 लड़कियों की शादी करनी पडेगी। प्रार्थीगण स्वयं अच्छी हालत में हैं, जिनके पास आय के भी अच्छे

स्त्रोत है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 2 की पत्नी के नाम 12 बीघा कृषिभूमि गिफ्ट डीड करवा दी, जिसे निरस्त करवाने बाबत अप्रार्थी सं. 1 ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश में एक वाद राजेन्द्र बनाम मोहनलाल प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें माननीय न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 को उक्त कृषिभूमि घुसने भी नहीं देते है ना ही बातचित करते व आये दिन झूठे मुकदमे करवाते रहते है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा किए गए कथनों की इनकारी करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 मजदूरी पेशा व्यक्ति है, जो मजदूरी कर अपने परिवार व अपने माता पिता का भरण पोषण करता है तथा उनका हर सूरत में ख्याल रखता है। अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में आई जमीन असिंचिंत है, जिसमें ज्यादा पैदावार नही होने के कारण वह गरीबी का सामना कर रहा है, इसलिये वह प्रार्थीगण को अलग से भरण पोषण देने योग्य नही है तथा प्रार्थीगण ने अपने भरण पोषण के लिये अपनी खातेदारी कृषिभूमि में से 1/3 हिस्सा अपने पास रख रखा है। उक्त कृषिभूमि की पैदावार से प्रार्थीगण अपनी आजीविका अच्छी तरह चला रहे हैं व प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को न्यायालय के समक्ष दोहराया है।

बहस उभय पक्षों की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र इन कथनों के साथ पेश किया है कि अप्रार्थीगण उनके पुत्र हैं, जो उनका भरण–पोषण नहीं कर रहे हैं व उन्हें पृथक कर रखा है। इस संदर्भ में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि वह अपने माता–पिता का सम्यक् रूप से भरण पोषण कर रहा है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी कृषिभूमि में से 1/3 हिस्सा अपने पास रख रखा है, जिससे उन्हें अच्छी पैदावार होती है।

इसी क्रम में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा कभी भी उसका भरण–पोषण नहीं किया। प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मिलीभगत से पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषिभूमि का गिफ्ट अप्रार्थी संख्या 2 की पत्नी के नाम कर दिया है तथा अप्रार्थी को नहीं दिया है तथा सम्पूर्ण भूमि अपने कब्जे में लेकर कब्जा काश्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को तंग–परेशान करने के आशय से उसके खिलाफ उसके विभाग में झूठी शिकायत व मारपीट का झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया था व यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषिभूमि में से 12 बीघा कृषिभूमि अप्रार्थी संख्या 2 की पत्नी को गिफ्ट डीड करवा दी थी, जिस बाबत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है व प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में दोनों पक्षों के मध्य कृषिभूमि बाबत निष्पादित इकरारनामा की प्रति पेश की है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में प्रार्थी संख्या 1 मोहनलाल के स्वामित्व की कृषिभूमि बाबत जमाबंदी भी संलग्न है। अप्रार्थीगण का यह कथन रहा है कि प्रार्थीगण के पास अपना भरण–पोषण हेतु पर्याप्त कृषिभूमि है। इस संदर्भ में जमाबंदी संलग्न पत्रावली है तथा प्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी उसके द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया है।

परिणामतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना इस स्तर पर प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए व दोनों पक्षों के मध्य लंबित राजस्व मुकदमों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

आदेश

प्रार्थीगण 1. मोहनलाल पुत्र चोखाराम उम्र 69 वर्ष निवासी झाड़सर कान्धलान, तहसील तारानगर जिला चुरू, 2. गिरदावरी पत्नी मोहनलाल उम्र 63 वर्ष निवासी झाड़सर कान्धलान, तहसील तारानगर जिला चुरू की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत दिलवाए जाने अंतरिम भरण पोषण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे।

अजयदीप सिंह,(RJ1230)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
तारानगर, जिला चुरू।

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अजयदीप सिंह,(RJ1230)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
तारानगर, जिला चुरू।